न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 51/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हरिशंकर पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी लीली (मृतक)
1/1 श्रीमति लक्ष्मी बेवा हरिशंकर उम्र करीब 70 साल,
1/2 उर्मिला पुत्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 57 साल,
1/3 मंगतूराम पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 50 साल,
1/4 छोटेलाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 46 साल,
1/5 दिनेश पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 44 साल,
1/6 सुरेन्द्र पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल,
1/7 कृपा पुत्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासीयान ग्राम लीली तहसील लक्ष्मगणगढ़ जिला अलवर

.....वादीगण/अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर राज0
2. तहसीलदार साहब, लक्ष्मणगढ़ बहैसियत लेण्ड होल्डर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

.....प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकार पैरोकार।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 06.09.2021

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर में दायर राजस्व वाद संख्या 1/48 बउनवान हरिशंकर बनाम राज0 सरकार के 'न्याय आपके द्वार' कैम्प लीली में पारित निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.16 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा मातहत अदालत में इस आशय का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. हाल 802 रकबा 0.58 हैक्ट0 जिसके साबिक ख.नं. 717 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में स्थित हैं, जो कि विवादित है। साबिक नक्शा एक्सपर्चा के अनुसार पूर्व 33 गठ्ठा, पश्चिम 25 गठ्ठा, उत्तर 36 गठ्ठा एवं दक्षिण 32 गठ्ठा आराजी की पैमाईश दर्ज हैं, जिस पर वादी काबिज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2028 में पूर्व शिरे को 33 गठ्ठे के स्थान पर 30 गठ्ठा दर्ज कर दिया तथा विवादित आराजी के तरफ दक्षिण को गैर मुमकिन रास्ता हाल खसरा नं. 803 साबिक ख.नं. 716 है, जो मौके पर 2 गठ्ठा चौड़ा है, 3 गठ्ठा मिला 12 बिस्वा के स्थान पर 16 बिस्वा दर्ज कर दिया, जिससे वादी के खातेदारी अधिकार जायल होते हैं। वादी द्वारा मातहत अदालत से निवेदन किया गया कि नक्शा एक्स पर्चा हाल को पूर्व साबिक नक्शा एक्सपर्चा के अनुसार ही 33 गठ्ठा दर्ज कर दुरूस्त किया जावें।

मातहत अदालत में सरकार पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित हाल ख.नं. 802 एवं साबिक ख.नं. 717 दोनों बराबर हैं अर्थात् बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई क्षेत्रफल घटाया एवं बढ़ाया नहीं गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 716 रकबा 12 बिस्वा जो पहले था, हाल ख.नं. 803 रकबा 16 बिस्वा है, जिसमें कहीं भी यह सर्विस नहीं है कि उक्त रास्ते में साबिक ख.नं. 717 का क्षेत्रफल मिला हुआ है। मातहत अदालत द्वारा 'न्याय आपके द्वार' कैम्प लीली में दिनांक 13.06.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर वादीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा दिनांक 29.09.15 को तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्य दिनांक 14.10.15 को नियत की गई थी। दिनांक 14.10.15 को वादी छोटेलाल द्वारा तथा दिनांक 04.11.15 द्वारा वादी मंगतूराम द्वारा हलफनामा पेश किया गया। इसी बीच लोक अदालत लीली में दिनांक 13.06.16 को बिना मिन वादीगण अपीलाण्ट को तलब किये ही एवं बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही वादी/अपीलाण्ट का बेजा व गलत प्रकार से वाद खारिज फरमा दिया गया। अपील मीमों में अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के ही दावा संख्या 1/36 बउनवान हरिशंकर बनाम किशन वगैरा, जो दिनांक 31.01.11 को अदम पैरवी में खारिज हो गया था, का उल्लेख किया गया है कि उक्त दावे की पत्रावली में तहत अदालत ने दिनांक 01.07.2000 की आदेशिका में अंकित किया कि वादी के द्वारा ख.नं. 802 व उसके आस पास के नम्बर का नक्शा ट्रेस पेश किया गया। साबिक ख.नं. 717 पर हाल नक्शा ट्रेस को रखकर देखा गया। वादी का खसरा नम्बर हाल सेटलमेन्ट में कम किया गया है जितना रकबा कम किया गया है वह हाल नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। तहत अदालत ने नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ को कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी गई। नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरिक्षण कर दिनांक 05.11.2004 को तहत अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई, जिससे वाद वादीगण के पक्ष में साबित था लेकिन मातहत अदालत द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा बगैर रिपोर्ट का अवलोकन किये ही लोक अदालत लीली में दावा खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा से अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.16 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य पत्रावली दावा संख्या 1/36 बउनवान हरिशंकर बनाम किशन वगैरा निर्णय दिनांक 31.01.11 भी मातहत अदालत से तलब की गई। अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान वाद एवं अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2028 में नया एक्सपर्चा तैयार कर उसमें पूर्वी शिरे को 33 गठ्ठा के बजाय 30 गठ्ठा दर्ज कर दिया गया था, उसकी दुरूस्ती मुताबिक साबिक नक्शा एक्सपर्चा बाबत वादी/अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत में वाद पत्र दायर किया गया था। तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह विवेचन किया कि बन्दोबस्त से पूर्व सम्वत् 2020 की जमाबन्दी में ख.नं. 717 का खातेदार वादी/अपीलाण्ट नहीं है तथा खातेदारी सम्वत् 2028 में वादी के नाम है वो खातेदारी स्वीकार किये जाने योग्य है ऐसा विवेचन कर तहत अदालत ने भारी भूल की है क्योंकि दावे में वादी/अपीलाण्ट द्वारा कोई भी खातेदारी सम्बन्धी अनुतोष नहीं चाहा गया था। वादी/अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत से केवल नक्शा दुरूस्ती हेतु अनुतोष चाहा गया था, जो कि मातहत अदालत के इसी विवातिद आराजीयात से सम्बन्धित एक अन्य दावा संख्या 1/36 बउनवान हरिशंकर बनाम किशन वगैरा में नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.11.2004 से वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में स्पष्ट तौर से साबित होता था, जिस ओर मातहत अदालत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार मातहत अदालत का निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.16 खारिज योग्य है।

सरकार पैरोकार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि विवादित आराजीयात के जमाबन्दी सम्वत् 2028 में ख.नं. 802 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2028 में साबिक ख.नं. 717 दोनों का रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा हैं अर्थात् बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई क्षेत्रफल घटाया एवं बढ़ाया नहीं गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 716 रकबा 12 बिस्वा जो पहले था, जमाबन्दी सम्वत् 2028 में हाल ख.नं. 803 रकबा 16 बिस्वा है, जिसमें कहीं भी यह सर्विस नहीं है कि उक्त रास्ते में साबिक ख.नं. 717 का 3 गठ्ठा मिला हुआ है।

हमारे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के आलोच्य आदेश व डिक्री का दिनांक 13.06.16 भी अवलोकन किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित अन्य पत्रावली दावा संख्या 1/36 बउनवान हरिशंकर बनाम किशन वगैरा पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा आदेशिका दिनांक 01.01.2000 एवं नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.11.2004 का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

हाल जमाबन्दी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ के ख.नं. 802 रकबा 0.58 हैक्ट0, जिसके साबिक ख.नं. 717 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा है। हाल जमाबन्दी व साबिक जमाबन्दी में रकबा समान है। परन्तु नक्शा पुरानी मसावी ट्रेस सम्वत् 2028 व हाल नक्शा ट्रेस जो अदालत मातहत की पत्रावली वाद संख्या 1/36/98 में शामिल मिसल को सुपरइम्पोज करने पर यह तथ्य प्रकट होते है–

– पुरानी मवासी ट्रेस में ख.नं. 10 व 32 के दक्षिण में रास्ता है जो ख.नं. 13 के दक्षिण कोने तक है जबकि हाल नक्शा में रास्ता ख.नं. 803, 802 से दक्षिण–पूर्व कोने से चालू होता

हुआ ख.नं. 818, 817 के दक्षिण से होता हुआ 816 के दक्षिण–पश्चिम कोने तक चौड़ाई बढ़ाई हुई दर्शायी गई है।

– विस्तृत रिपोर्ट अदालत मातहत द्वारा आदेशिका दिनांक 25.09.04 से मंगवाई। रिपोर्ट दिनांक 05.11.04 के अनुसार हाल ख.नं. 802 से 816 तक में मध्य का रास्ता पुराना रकबे से 04 बिस्वा बढ़ा हुआ पाया गया है। हाल ख.नं. 802 जो कि साबिक ख.नं. 717 से बना है उसकी पूर्व मेड 33 गठ्ठा सही पाई गई।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हाल आराजी ख.नं. 802 रकबा 0.58 है. पूर्व शिरा जो 33 गठ्ठा लम्बा दर्ज है, उसको 30 गठ्ठा लम्बा दर्ज किए जाने से रास्ते में 04 बिस्वे की बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार का नक्शे का अंकन कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा अविधिक रूप से कार्य किया गया है जबकि उसको केवल पुराने रेकॉर्ड को ही दोहराने का अधिकार है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 13.06.16 निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को आदेश दिये जाते हैं कि नक्शा मसावी ट्रेस सम्वत् 2028 से पूर्व ख.नं. 717, जिसमें पूर्व भुजा 33 गठ्ठा दर्ज है, के अनुसार हाल ख.नं. 802 के पूर्वी सीमा को नक्शे में 30 गठ्ठा के स्थान पर 33 गठ्ठा कर नक्शा दुरूस्त किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर